उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–5
संख्या 126 /वि0 अनु0– 5/ व्या0 क0 / 2004
:देहरादून: :दिनांक: फरवरी, 2004

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) (यथा उत्तरांचल में लागू)की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 24 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1–नियम 2 का संशोधनः– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में, जिसे आगे नियमावली कहा गया है, के नियम 2 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान खण्ड (ख), (घ), (छ), (छछछ), (ज) और (जज) के स्थान पर स्तम्भ–2 में प्रत्येक के विरुद्ध दिए गए खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ–1 <u>विद्यमान खण्ड</u>	स्तम्भ–2 <u>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड</u>
(ख)"असिस्टेन्ट कमिश्नर" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने इस रूप में नियुक्त किया हो और जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन), असिस्टेन्ट कमिश्नर (जांच चौकी तथा सचल दल), असिस्टेन्ट कमिश्नर (मुकदमा), असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रवर्तन), असिस्टेन्ट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) भी है;	(ख)"उप कमिश्नर" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने इस रूप में नियुक्त किया है और जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उप कमिश्नर (प्रशासन), उप कमिश्नर (जांच चौकी तथा सचल दल), उप कमिश्नर (मुकदमा) उप कमिश्नर (प्रवर्तन), उप कमिश्नर (विशेष अनुसन्धान शाखा), या उप कमिश्नर (कर निर्धारण) भी है;
(घ)"डिप्टी कमिश्नर" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने नियुक्त किया हो और जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक), डिप्टी कमिश्नर (अपील), डिप्टी कमिश्नर (जांच चौकी), डिप्टी कमिश्नर (संग्रह)डिप्टी कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा), डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन), डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)भी है;	(घ)"संयुक्त कमिश्नर" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने नियुक्त किया हो और जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संयुक्त कमिश्नर (प्रशासन), संयुक्त कमिश्नर(अपील), संयुक्त कमिश्नर(जांच चौकी), संयुक्त कमिश्नर(संग्रह), संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक), संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसन्धान शाखा), संयुक्त कमिश्नर (प्रवर्तन), संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण) भी है;
(छ)"रैन्ज" से तात्पर्य नियम–3 के उपनियम (1) के अधीन विज्ञापित किसी असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रवर्तन) या असिस्टेन्ट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या असिस्टेन्ट कमिश्नर (जांच	(छ)"क्षेत्र" से तात्पर्य नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विज्ञापित किसी उप कमिश्नर (प्रवर्तन) या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसन्धान शाखा) या उप कमिश्नर (जांच चौकी एवं सचल दल) के

चौकी एवं सचल दल) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से है; (छछछ) "सम्भाग"का तात्पर्य नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विज्ञापित किसी डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) या डिप्टी कमिश्नर (अपील) या डिप्टी कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन)या डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से है;	क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से है; (छछछ) "सम्भाग "का तात्पर्य नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विज्ञापित किसी संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) या संयुक्त कमिश्नर (अपील) या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसन्धान शाखा) या संयुक्त कमिश्नर (प्रवर्तन) या संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण) के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से है;

(ज) "व्यापार कर अधिकारी"" का तात्पर्य ऐसे व्यापार कर अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने कर निर्धारक अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो और इसमें निम्नलिखित भी हैं: (1) किसी सम्भाग का डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण), जिसे राज्य सरकार ने ऐसे सम्भाग में कर निर्धारण अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो; (2) किसी सर्किल का असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण) जिसे राज्य सरकार ने ऐसे सर्किल में कर निर्धारण अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो; (3) ऐसे सर्किल में कर निर्धारक अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये व्यापार कर कमिश्नर (जिन्हें इस नियमावली में आगे 'कमिश्नर' निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा ऐसे सर्किल में तैनात किया गया व्यापार कर अधिकारी या नियुक्त या तैनात किया गया व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–दो, और	(ज)"कर निर्धारक अधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे सहायक कमिश्नर से है जिसे राज्य सरकार ने कर निर्धारक अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो और इसमें निम्नलिखित भी हैं: (1) किसी सम्भाग का संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण), जिसे राज्य सरकार ने ऐसे सम्भाग में कर निर्धारण अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो; (2) किसी सर्किल का उप कमिश्नर (कर निर्धारण) जिसे राज्य सरकार ने ऐसे सर्किल में कर निर्धारण अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया हो; (3) ऐसे सर्किल में कर निर्धारक अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करने और उनकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कमिश्नर, कर जिसे इस नियमावली में आगे "कमिश्नर" निर्दिष्ट किया गया है द्वारा तैनात कोई सहायक कमिश्नर या उनके द्वारा ऐसे सर्किल में नियुक्त या तैनात किया गया व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–दो; और (4)ऐसा अधिकारी जिसे इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो।

(4) ऐसा अधिकारी जिसे इस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो।	
(जज)"राज्य प्रतिनिधि" का तात्पर्य यथास्थिति डिप्टी कमिश्नर (अपील) या एडिशनल कमिश्नर (अपील) या अधिकरण के समक्ष कमिश्नर या पात्रता प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के लिये गठित समिति की ओर से प्रतिनिधित्व करने या मामले में बहस करने के लिये कमिश्नर द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी ऐसे अधिकारी से है, जो व्यापार कर अधिकारी से निम्न पद का न हो: प्रतिबन्ध यह है कि छुट्टी या अन्य कारण से राज्य प्रतिनिधि की अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में एडीशनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा लिखित रूप से अधिकृत कोई अधिकारी राज्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।	(जज)"राज्य प्रतिनिधि" का तात्पर्य यथास्थिति संयुक्त कमिश्नर (अपील) या एडिशनल कमिश्नर (अपील) या अधिकरण के समक्ष कमिश्नर या पात्रता प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के लिये गठित समिति की ओर से प्रतिनिधित्व करने या मामले में बहस करने के लिये कमिश्नर द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी ऐसे अधिकारी से है जो उप कमिश्नर से निम्न पद का न हो: प्रतिबन्ध यह है कि छुट्टी या अन्य कारण से राज्य प्रतिनिधि की अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में एडीशनल कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

2– नियम 3 का संशोधनः उक्त नियमावली में नियम 3 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान उप–नियम (1), (3) और (4) के स्थान पर स्तम्भ 2 में प्रत्येक के विरुद्ध दिए गए उप–नियम रख दिये जायेंगे अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–1 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा (क) किसी एडिशनल कमिश्नर के जोन को सृजित या समाप्त कर सकती है और ऐसे सर्किल या उप सर्किलों को विज्ञापित कर सकती है जो ऐसे जोन में सम्मिलित किए जांये;	(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा (क) किसी एडीशनल कमिश्नर के जोन को सृजित या समाप्त कर सकती है और ऐसे सर्किल या उप सर्किलों को विज्ञापित कर सकती है जो ऐसे जोन में सम्मिलित किए जाए;
(ख) किसी डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) या डिप्टी कमिश्नर (अपील) या डिप्टी कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) या डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन) के सम्भाग को सृजित या समाप्त कर सकती है और ऐसे सर्किलों या उप सर्किलों को विज्ञापित कर सकती है जो ऐसे सम्भाग में सम्मिलित किये जांये, और	(ख) किसी संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) या संयुक्त कमिश्नर (अपील)या किसी संयुक्त कमिश्नर (विशेष अन्वेषण शाखा) या किसी संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण) या किसी संयुक्त कमिश्नर (प्रवर्तन) के सम्भाग को सृजितया समाप्त कर सकती है और ऐसे सर्किलों या उप सर्किलों को विज्ञापित कर सकती है जो ऐसे सम्भाग में सम्मिलित किए जांये, और

(ग) किसी असिस्टेन्ट कमिश्नर (जांच चौकी एवं सचल दल) या असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रवर्तन) या असिस्टेन्ट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा)के रेंज को सृजित या समाप्त कर सकती है और ऐसे सर्किलों या उप–सर्किलों को विज्ञापित कर सकती है जो ऐसे रेंज में सम्मिलित किए जायें, और	(ग) किसी उप कमिश्नर (जांच चौकी एवं सचल दल) या उप कमिश्नर (प्रवर्तन) या डिप्टी कमिश्नर (विशेष अनुसन्धान शाखा) के रेंज को सृजित या समाप्त कर सकती है और ऐसे सर्किलों या उप–सर्किलों को विज्ञापित कर सकती है जो ऐसे रेंज में सम्मिलित किए जाये, और

(3) कमिश्नर, किसी जोन के एडिशनल कमिश्नर या किसी सम्भाग के डिप्टी कमिश्नर या किसी रेंज के असिस्टेन्ट कमिश्नर के सम्बन्धित क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित मामलों में अवधारित करेगा:	(3) कमिश्नर किसी जोन के एडिशनल कमिश्नर या किसी सम्भाग के संयुक्त कमिश्नर या किसी रेंज के उप कमिश्नर के सम्बन्धित क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित मामलों में अवधारित करेगा:
(क) जहां किसी जोन में एक से अधिक एडीशनल कमिश्नर हों:	(क) जहां किसी जोन में एक से अधिक एडीशनल कमिश्नर हों,
(ख) जहां किसी सम्भाग में एक से अधिक डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) या किसी डिप्टी कमिश्नर (अपील) या डिप्टी कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन) या डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) हों:	(ख) जहां किसी सम्भाग में एक से अधिक संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक)या किसी संयुक्त कमिश्नर (अपील) या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अन्वेषण शाखा) या संयुक्त कमिश्नर (प्रवर्तन) या संयुक्त कमिश्नर (कर निर्धारण) हों,
(ग) जहां किसी रेंज में एक से अधिक असिस्टेन्ट कमिश्नर(जांच चौकी एवं सचल दल) या असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रवर्तन) या असिस्टेन्ट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) हों।	(ग) जहां कसी रेंज में एक से अधिक उप कमिश्नर (जांच चौकी एवं सचल दल) या उप कमिश्नर (प्रवर्तन) या उप कमिश्नर (विशेष अनुसन्धान शाखा) हों ।
(4) जहां किसी सर्किल में एक से अधिक व्यापार कर अधिकारी हों, तो कमिश्नर इस सर्किल के भीतर प्रत्येक के क्षेत्राधिकार अवधारित करेगा। स्पष्टीकरण–उपनियम (3) य (4) के अधीन अधिकारियों के सम्बन्धित क्षेत्राधिकार अवधारित करने में कमिश्नर ऐसा निर्देश दे सकेगा कि कोई अधिकारी ऐसे व्यापारियों	(4) जहां किसी सर्किल में एक से अधिक कर निर्धारक अधिकारी हों, तो कमिश्नर इस सर्किल के भीतर प्रत्येक का क्षेत्राधिकार अवधारित करेगा। स्पष्टीकरण–उपनियम(3)या(4)के अधीन अधिकारियों के सम्बन्धित क्षेत्राधिकार अवधारित करने में कमिश्नर ऐसा निर्देश दे सकेगा कि कोई अधिकारी ऐसे व्यापारियों या

या व्यापारियों के वर्ग पर, जिन्हे वह विनिर्दिष्ट करें, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा और जब तक अन्यथा निर्देशित न हो, ऐसे अधिकारी का उत्तराधिकारी उसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा और वह मामलों में भी उसी अवस्था से आग बढ सकता है जहां वे ऐसे अधिकारी द्वारा छोडे गये हों ।	व्यापारियों के वर्ग पर, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा और जब तक अन्यथा निर्देशित न हो, ऐसे अधिकारी का उत्तराधिकारी उसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा और वह मामलों में भी उसी अवस्था से आगे बढ़ सकता है जहां वे ऐसे अधिकारी द्वारा छोड़े गये हों।

3–नियम 4 का संशोधनः– उक्त नियमावली में नियम 4 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान उप–नियम(4)और (5)के स्थान पर स्तम्भ 2 में प्रत्येक के विरुद्ध दिए गये उप–नियम रख दिए जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(4) कमिश्नर के सामान्य नियन्त्रण के अधीन रहते हुए एडीशनल अथवा ज्वाइन्ट कमिश्नर ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कमिश्नर में निहित होंगी।	(4) कमिश्नर के सामान्य नियन्त्रण के अधीन रहते हुए एडीशनल कमिश्नर ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो कमिश्नर में निहित होंगी।
(5) कमिश्नर के सामान्य नियन्त्रण के अधीन रहते हुए डिप्टी कमिश्नर और सहायक आयुक्त भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो उक्त अधिनियम अथवा इस नियमावली द्वारा या इनके अधीन अधिरोपित किये गये हों, अथवा जो उक्त अधिनियम या इस नियमावली के अनुरूप उन्हें प्रदत्त या समनुदेशित किये गये हों।	(5) कमिश्नर के सामान्य नियन्त्रण के अधीन रहते हुए संयुक्त कमिश्नर और उप कमिश्नर भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो अधिनियम या इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन अथवा इस नियमावली द्वारा या इनके अधीन अधिरोपित किये गये हों अथवा जो उक्त अधिनियम या इस नियमावली के अनुरूप उन्हें प्रदत्त या समनुदेशित की गयी हों।

4–नियम 5 का संशोधनः उक्त नियमावली में नियम 5 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (2)के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(2) सभी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर तथा कर निर्धारक अधिकारी और उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत सभी अन्य अधिकारी धारा–13 और 13–क के अधीन सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने लिये सक्षम होंगे: प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के परे, उक्त	(2) सभी संयुक्त कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तथा कर निर्धारक अधिकारी और उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत सभी अन्य अधिकारी धारा 13 और 13 क के अधीन सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम होंगे: प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के परे उक्त धाराओं के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व उच्चतर अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा लेना आवश्यक होगा।

धाराओं के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व उच्चतर अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा लेना आवश्यक होगा।	

5-- नियम 50 का संशोधनः उक्त नियमावली में नियम 50 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायगा, अर्थात-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(2) सम्पर्क शाखा सूची की एक प्रति के साथ चालान की 'ख' चिन्हित एक प्रति अगले कार्य दिवस को, यथास्थिति, जिले या सर्किल के व्यापार कर अधिकारी को भेजेगी।	(2) सम्पर्क शाखा सूची की एक प्रति के साथ चालान की 'ख' चिन्हित एक प्रति अगले कार्य दिवस को, यथास्थिति, जिले या सर्किल के उप कमिश्नर (प्रशासन) या उप कमिश्नर (प्रशासन) को भेजेगी।

6--नियम 52 और 53 का संशोधनः उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 52 और 53 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गए नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
52-खजाने द्वारा सत्यापान और भिन्नता का समाधान-(1) प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में व्यापार कर अधिकारी खजाने या उप-खजाने के प्रभारी अधिकारी को सत्यापन के लिये रूप-पत्र 13 में एक विवरण भेजेगा। (2) यदि सत्यापन के समय कोई भिन्नता पायी जाये तो व्यापार कर अधिकारी लेखों का समाधान करने के लिए खजाने या उप-खजाने को आवश्यक अभिलेख भेजेगा। 53- सम्बद्ध अधिकारियों को जमा की सूचना-व्यापार कर अधिकारी किसी धनराशि को जमा करने की सूचना ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा जिसके कार्यालय से ऐसी जमा सम्बन्धित हो।	52-खजाने द्वारा सत्यापान और विसंगति का समाधान-(1) प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में सहायक कमिश्नर (प्रशासन) या आयुक्त कर द्वारा प्राधिकृत उप कमिश्नर खजाने या उप-खजाने के प्रभारी अधिकारी को सत्यापन के लिये प्रपत्र 13 में एक विवरण भेजेगा। (2) यदि सत्यापन के समय कोई विसंगति पायी जाये तो सहायक कमिश्नर (प्रशासन) या आयुक्त कर द्वारा प्राधिकृत उप कमिश्नर लेखों का समाधान करने के लिए खजाने या उप-खजाने को आवश्यक अभिलेख भेजेगा। 53- सम्बद्ध अधिकारियों को जमा राशि की सूचना- सहायक कमिश्नर (प्रशासन) या उप कमिश्नर (प्रशासन) किसी धनराशि को जमा करने की सूचना ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा जिसके कार्यालय से ऐसी जमा राशि सम्बन्धित हो।

7--नियम 54 का संशोधनः उक्त नियमावली में नियम 54 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गए उप-नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात-

स्तम्भ-1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम

(1) किसी व्यापारी द्वारा धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र रूप-पत्र 14 में व्यापार कर अधिकारी को दिया जायेगा। प्रार्थना-पत्र के साथ, यथास्थिति, स्वामी या फर्म के प्रत्येक वयस्क पुरूष भागीदार या अविभाजित हिन्दू परिवार के प्रत्येक पुरूष सहृदायिक का, किसी वकील या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटो की प्रतियाँ होंगी, और उस पर निम्नलिखित का हस्ताक्षर होगाः (क) किसी फर्म की स्थिति में, स्वामी या भागीदार; या (ख)अविभाजित हिन्दू परिवार की स्थिति में, कर्ता; या (ग) किसी लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में, प्रबन्ध संचालक या संचालक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, या (घ) सोसाइटी क्लब या एसोसियेशन की दशा में, अध्यक्ष (प्रेसिडेन्ट) या सचिव (सेक्रेटरी) के या (ङ) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग की दशा में, कार्यालय के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या (च) किसी अन्य स्थिति में, स्वयं व्यापारी या, यथास्थिति, प्राधिकरण या निकाय का मुख्य अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रुप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।	(1) किसी व्यापारी द्वारा धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र प्रपत्र 14 में सहायक कमिश्नर को दिया जायेगा। प्रार्थना-पत्र के साथ, यथास्थिति, स्वामी या फर्म के प्रत्येक वयस्क पुरुष भागीदार या अविभाजित हिन्दू परिवार के प्रत्येक पुरुष सहभागीदार का, किसी वकील या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटो की प्रतियां होंगी, और उस पर निम्नलिखित का हस्ताक्षर होगाः (क) किसी फर्म की स्थिति में स्वामी या भागीदार; या (ख) अविभाजित हिन्दू परिवार की स्थिति में,कर्ता; या (ग) किसी लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक या निदेशक मण्डल द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति; या (घ) सोसाइटी क्लब या एसोसिएशन के मामले में अध्यक्ष (प्रसिडेन्ट) या सचिव (सेक्रेटरी) के या (ङ) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के मामले में कार्यालय के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या (च) किसी अन्य स्थिति में, स्वयं व्यापारी या, यथास्थिति, निकाय का प्रधान अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य प्रधान अधिकारी।

8–नियम 55 का संशोधन: उक्त नियमावली में, दिये गए विद्यमान नियम 55 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–1 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
55– रजिस्ट्री के प्रमाण–पत्र का दिया जाना– (1) यदि व्यापार कर अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि प्रार्थना–पत्र व्यवस्थित रूप में है, दी गयी सूचना सही और पूर्ण हैऔर धारा–8 के अधीन शुल्क और अर्थदण्ड, जहाँ देय हो, जमा कर दिया है, तो वह जब तक धारा 8–ग के अधीन प्रतिभूति की मांग करना आवश्यक न समझें, व्यापारी का नाम रजिस्टर में दर्ज कर सकता है और उसे रूप–पत्र 15 में रजिस्ट्री का प्रमाण–पत्र दे सकता है। (2) यदि व्यापार कर अधिकारी ने धारा 8–ग के अधीन प्रतिभूति की मांग की है तो व्यापारी का नाम रजिस्टर में तभी दर्ज किया जायेगा और उसे रजिस्ट्री का प्रमाण–पत्र तभी दिया जायेगा जब इस प्रकार मांगी गयी प्रतिभूति ऐसे अधिकारी के सन्तोषानुसार दे दी जाये। (3) यदि प्रार्थना–पत्र सही न हो, अपूर्ण हो, व्यवस्थित रूप में न हो या शुल्क या अर्थदण्ड का भुगतान न किया गया हो या प्रतिभूति न दी गयी हो तो व्यापार कर अधिकारी व्यापारी पर कारण बताने का नोटिस तामिल करने के पश्चात प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर सकता है।	55– रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का दिया जाना– (1) यदि सहायक कमिश्नर को यह समाधान हो जाये कि प्रार्थना–पत्र व्यवस्थित रूप में है, दी गयी सूचना सही और पूर्ण है और धारा–8 के अधीन शुल्क और अर्थदण्ड, जहां देय हों, जमा कर दिये गये हैं, तो वह जब तक धारा 8–ग के अधीन प्रतिभूति की मांग करना आवश्यक न समझें, व्यापारी का पंजीकरण कर सकता है और उसे प्रपत्र 15 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र दे सकता है। (2) यदि सहायक कमिश्नर ने धारा 8–ग के अधीन प्रतिभूति की मांग की है तो व्यापारी का पंजीकरण तभी किया जायेगा और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तभी दिया जायेगा जब इस प्रकार मांगी गयी प्रतिभूति ऐसे अधिकारी के सन्तोषानुसार दे दी जाये। (3) यदि प्रार्थना–पत्र सही न हो, ग्रासित हो, व्यवस्थित रूप में न हो या शुल्क या अर्थदण्ड का भुगतान न किया गया हो या प्रतिभूति न दी गयी हो तो सहायक कमिश्नर व्यापारी पर कारण बताने का नोटिस तामिल करने के पश्चात प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

9–नियम 57 का संशोधन: उक्त नियमावली में नियम 57 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(1) व्यापार कर अधिकारी व्यापारी को पंजीयन के प्रमाण–पत्र में उल्लिखित प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार स्थान के लिए रजिस्ट्री के प्रमाण–पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क देगा।	(1) सहायक कमिश्नर व्यापारी को पंजीयन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित प्रत्येक अतिरिक्त व्यापार स्थान के लिए पंजीयन प्रमाण–पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क देगा।

10–नियम 61 और 62 का संशोधन: उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 61 और 62 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
61– **प्रमाण–पत्र खो जाना**–यदि पंजीयन का प्रमाण–पत्र खो जाये, विनाश या विकृत हो जाये और व्यापार कर अधिकारी को यह सन्तोष हो जाये कि उक्त प्रमाण–पत्र खो गया, या विकृत या विनाश हो गया है, व्यापारी द्वारा एक	61– **प्रमाण–पत्र खो जाना**–यदि पंजीयन प्रमाण–पत्र खो जाये, नष्ट या विकृत हो जाये और सहायक कमिश्नर का यह समाधान हो जाये कि उक्त प्रमाण–पत्र खो गया या विकृत या नष्ट हो गया है, तो व्यापारी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र देने पर,

प्रार्थना–पत्र देने पर, जिसके साथ रू0 10 का शुल्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा, उसकी एक दूसरी प्रति जारी कर देगा। **62– पंजीयन प्रमाण–पत्र को रद्द करना–** यदि कर निर्धारण वर्ष समाप्त होने पर किसी व्यापारी का, जिसे रूप–पत्र 15 में पंजीयन का प्रमाण–पत्र दिया गया हो, यह समाधान हो जाये कि वह व्यापारी अब ऐसी रजिस्ट्री का पात्र नहीं है, तो वह अपने प्रमाण–पत्र को रद्द किये जाने के लिए प्रार्थना–पत्र आगामी 30 अप्रैल तक व्यापार कर अधिकारी को दे सकता है। व्यापार कर अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, उक्त प्रमाण–पत्र को रद्द कर देगा या प्रार्थना–पत्र को अस्वीकृत कर देगा और व्यापारी को यह आदेश देगा कि वह अपने प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण करा ले।	जिसके साथ रू0 10 का शुल्क जमा करने का संतोषजनक प्रमाण होगा, उसकी एक दूसरी प्रति जारी कर देगा। **62– पंजीयन प्रमाण–पत्र रद्द करना–** यदि कर निर्धारण वर्ष समाप्त होने पर किसी व्यापारी का, जिसे प्रपत्र 15 में पंजीयन प्रमाण–पत्र दिया गया हो, यह समाधान हो जाये कि वह व्यापारी अब ऐसी रजिस्ट्री का दायी नहीं है, तो वह अपने प्रमाण–पत्र को रद्द किये जाने के लिए आगामी 30 अप्रैल तक सहायक कमिश्नर, से आवेदन सकता है। सहायक कमिश्नर, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, प्रमाण–पत्र को रद्द कर देगा या आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर देगा और व्यापारी को यह आदेश देगा कि वह अपने प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण करा ले।

11–नियम 65 का संशोधनः उक्त नियमावली में, नियम 65 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान उप–नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(1) धारा 9 के अधीन अपील निम्नलिखित को की जायेगी– (क) एडिश्नल कमिश्नर (अपील), को ऐसे मामले में, जिसमें वह आज्ञा, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, डिप्टी कमिश्नर (कर–निर्धारण) द्वारा पारित की गयी हो, और (ख) अन्य सभी मामलों में डिप्टी कमिश्नर (अपील), को।	(1) धारा 9 के अधीन निम्नलिखित को अपील की जायेगी– (क) एडिश्नल कमिश्नर (अपील) को, ऐसे मामले में, जिसमें वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, संयुक्त कमिश्नर (कर–निर्धारण) द्वारा पारित की गयी हो; और (ख)अन्य सभी मामलों में संयुक्त कमिश्नर (अपील) को।

12– नियम 66 का संशोधनः उक्त नियमावली में नियम 66 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप–नियम रख दिये जायेगें, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(3) अपील के आवेदन–पत्र के साथ अधिनियम के अधीन देय फीस के भुगतान का प्रमाण और धारा 9 के अधीन किसी अपील की स्थिति में, एक चालान या सम्बद्ध व्यापार कर अधिकारी का प्रमाण–पत्र भी जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अनुसार कर या फीस जमा करना दिखाया गया हो, होना चाहिए।	(3) अपील के ज्ञापन के साथ अधिनियम के अधीन देय शुल्क के भुगतान का प्रमाण और धारा 9 के अधीन किसी अपील की स्थिति में, एक चालान या सम्बद्ध सहायक कमिश्नर का प्रमाण–पत्र भी जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के अनुसार कर या शुल्क जमा करना दिखाया गया हो, होना चाहिए।

13–नियम 70 का संशोधनः उक्त नियमावली में नियम 70 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये विद्यमान उप–खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया खण्ड दख दिया जायेगा, अर्थात	
स्तम्भ–1 विद्यमान उप–खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा के व्यक्तियों की स्थिति में उन व्यक्तियों में से जो व्यापार कर डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद पर हों या रहे हों, योग्यता के सिद्धान्त पर चयन द्वारा ।	(ग) उत्तरांचल व्यापार कर सेवा के व्यक्तियों की स्थिति में उन व्यक्तियों मे से जो व्यापार कर संयुक्त कमिश्नर से अनिम्न पद पर हों या रहे हों, योग्यता के सिद्धान्त पर चयन द्वारा ।

14–नियम 71 का संशोधनः उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 71 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–	
स्तम्भ–1 विद्यमान नियम 71– अपील में या पुनरीक्षण में दी गयी आज्ञा का लागू किया जाना– यदि अपील या पुनरीक्षण में दी गयी कोई आज्ञा किसी आज्ञा में परिवर्तन करती है, तो व्यापार कर अधिकारी अधिक कर या शुल्क को वापस कर देगा या जो कमी हो उसे वसूल कर लेगा, जैसी भी दशा हो ।	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 71– अपील या पुनरीक्षण में दी गयी आज्ञा का लागू किया जाना– यदि अपील या पुनरीक्षण में दी गयी कोई आज्ञा किसी आज्ञा में परिवर्तन करती है, तो कर निर्धारक अधिकारी यथास्थिति अधिक कर या शुल्क वापस कर देगा या जो कम हो उसे वसूल कर लेगा।

15 – नियम 75 का संशोधनः उक्त नियमावली में नियम 75 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 75 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–	
स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम 75– साक्षियों को बुलाने का अधिकार– यथास्थिति, व्यापार कर अधिकारी, असिस्टेन्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और अतिरिक्त कमिश्नर, कमिश्नर और व्यापार कर अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे, जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं, अर्थात–	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 75– साक्षियों को बुलाने का अधिकार– यथास्थिति सहायक कमिश्नर, उप कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, व्यापार कर अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे, जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हैं, अर्थात–
(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान ,Affirmation)पर उसकी परीक्षा करना; (ख) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य	(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान (Affirmation) पर उसकी परीक्षा करना; (ख) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य

करना; और (ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और किसी भी उपर्युक्त अधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अन्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा ।	करना, और (ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और किसी भी उपर्युक्त अधिकारी के समक्ष किसी भी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अन्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा ।

16– नियम 81 का संशोधन: उक्त नियमावली में नियम 81 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये विद्यमान उप–नियम (2) और (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप–नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
(2) व्यापार कर कमिश्नर के सामान्य नियन्त्रण के अधीन रहते हुए एडीशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) भी, किसी भी प्रक्रम पर किसी वाद को या किसी प्रकार के वादों को, यथास्थिति, अपने जोन के भीतर या सम्भाग के भीतर एक कर निर्धारण अधिकारी के पास से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को संक्रमित (हस्तान्तरित) कर सकता है।	(2) कमिश्नर के सामान्य नियन्त्रण के अधीन रहते हुए एडीशनल कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) भी, किसी भी प्रक्रम पर किसी वाद को या किसी प्रकार के वादों को, यथास्थिति, अपने जोन के भीतर या सम्भाग के भीतर एक कर निर्धारण अधिकारी के पास से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को संक्रमित (हस्तान्तरित) कर सकता है।
(3)(क) कमिश्नर किसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व या तो स्वप्रेरणा से या अपीलार्थी के आवेदन–पत्र पर किसी मामले को या मामलों के किसी वर्ग को एक एडीशनल कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे एडिशलन कमिश्नर (अपील) को या एक डिप्टी कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे डिप्टी कमिश्नर (अपील) को या किसी एडीशनल कमिश्नर (अपील) को अन्तरित कर सकता है ।	(3)(क) कमिश्नर किसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व या तो स्वप्रेरणा से या अपीलार्थी के आवेदन–पत्र पर किसी मामले को या मामलों के किसी वर्ग को एक एडीशनल कमिश्नर (अपील) दूसरे के पास से एडिशलन कमिश्नर (अपील) को या एक संयुक्त कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे संयुक्त कमिश्नर (अपील) को या किसी एडीशनल कमिश्नर (अपील) को अन्तरित कर सकता है।
(ख) अधिकरण का अध्यक्ष किसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ होने के पश्चात किसी प्रक्रम पर अपीलार्थी या कमिश्नर के आवेदन पत्र पर किसी मामले को या मामलों के किसी वर्ग को एक एडीशनल कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे एडीशनल कमिश्नर (अपील) को या एक डिप्टी कमिश्नर(अपील) के पास से दूसरे डिप्टी कमिश्नर (अपील) को या एडिशनल कमिश्नर (अपील) को अन्तरित कर सकता है।	(ख) अधिकरण का अध्यक्ष किसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ होने के पश्चात किसी प्रक्रम पर अपीलार्थी या कमिश्नर के आवेदन पत्र पर किसी मामले को या मामलों के किसी वर्ग को एक एडीशनल कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे एडीशनल कमिश्नर (अपील) को या एक संयुक्त कमिश्नर (अपील) के पास से दूसरे संयुक्त कमिश्नर (अपील) को या किसी एडिशनल कमिश्नर (अपील) को अन्तरित कर सकता है।
स्पष्टीकरण–(1) जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाये, ऐसे अधिकारी को, जिसके पास	स्पष्टीकरण–(1) जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाये, ऐसे अधिकारी को, जिसके पास

उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मामला अन्तरित किया जाये, समस्त ऐसे अधिकार होंगे जो उस अधिकारी को थे जिसके पास से मामला अन्तरित किया गया था, और वह उस प्रक्रम से कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है जिस पर इस प्रकार मामला अन्तरित किया गया था। स्पष्टीकरण--(2) इस नियम के प्रयोजनार्थ सुनवाई नियम 68 के उपनियम (2) मे निर्दिष्ट नोटिस के जारी होने पर प्रारम्भ हुई समझी जायेगी ।	उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मामला अन्तरित किया जाये, समस्त ऐसे अधिकार होंगे जो उस अधिकारी को थे जिसके पास से मामला अन्तरित किया गया था, और वह उस प्रक्रम से कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है जिस पर इस प्रकार मामला अन्तरित किया गया था। स्पष्टीकरण--(2) इस नियम के प्रयोजनार्थ सुनवाई नियम 68 के उपनियम (2) मे निर्दिष्ट नोटिस के जारी होने पर प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।

17– नियम 82 का संशोधनः उक्त नियमावली मे नियम 82 में उप नियम (1) में –

(1) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड(क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) माल का नीलाम एक समिति द्वारा किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे.	(क) माल का नीलाम एक समिति द्वारा किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे।
(एक) सम्भाग (क्षेत्र) के डिप्टी कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट, असिस्टेन्ट कमिश्नर..............अध्यक्ष	(एक) सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट, उप कमिश्नर..............अध्यक्ष
(दो) सम्भाग (क्षेत्र) के डिप्टी कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट,व्यापार कर अधिकारी.......सदस्य	(दो) सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट, सहायक कमिश्नर............सदस्य
(तीन) माल का अधिग्रहण करने वाला अधिकारी या अधिनियम की धारा 13–क की उपधारा (8) के अधीन माल की बिक्री कराने के लिए अधिकृत कर निर्धारण अधिकारी...........पदेन सदस्य ;म्ग वीिपबपव उमउइमतद्ध	(तीन) माल का अधिग्रहण करने वाला अधिकारी या अधिनियम की धारा 13–क की उपधारा (8) के अधीन माल की बिक्री कराने के लिए अधिकृत कर निर्धारण अधिकारी...........पदेन सदस्य ;म्ग वीिपबपव उमउइमतद्ध

(ख) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (घ) के उपखण्ड (तीन), (चार), (छः) और (दस) के स्थान पर स्तम्भ–2 में प्रत्येक के सम्मुख दिये गये उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 विद्यमान उप खण्ड
(घ) (तीन)समिति को किसी बोली को अस्थायी रूप से स्वीकार करने या स्वीकार न करने का अधिकार होगा । समिति ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेगें,शीघ्र और प्रकृत्य ,छंजनतंसद्ध क्षयशील ,वमबंलद्ध माल के मामले में, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर भी बोली स्वीकर कर सकती है। किसी बोली का अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाना सम्भाग (क्षेत्र) के डिप्टी कमिश्नर ,क्मचनजल ब्वउउपेेपवदमतद्ध के अनुमोदन के अधीन होगा (चार) नीलामकर्ता को समिति द्वारा अस्थायी रूप से बोली स्वीकार कर लेने के पश्चात नीलाम की धनराशि का 20 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा। नीलाम की धनराशि की शेष धनराशि माल के परिदान ,क्मसपअमतलद्ध के समय जमा की जायेगी। माल का परिदान सम्भाग के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात ही किया जायेगा। (छ) यदि सम्भाग (क्षेत्र) के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, तो नीलाम क्रेता द्वारा जमा की गई धनराशि जिसके अर्न्तगत बयाने की धनराशि भी	(घ) (तीन) समिति को किसी बोली को अनंतिम रूप से स्वीकार करने या स्वीकार न करने का अधिकार होगा । समिति ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, शीघ्र और प्रकृत्य ,छंजनतंसद्ध क्षयशील ,क्मबंलद्ध माल के मामले में, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर भी बोली स्वीकर कर सकती है। किसी बोली का अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाना सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर ,श्रवपदज ब्वउउपेेपवदमतद्ध के अनुमोदन के अधीन होगा। (चार) समिति द्वारा अस्थायी रूप से बोली स्वीकार कर लेने के पश्चात नीलाम कर्ता को नीलाम की धनराशि का 20 प्रतिशत तुरन्त जमा करना होगा। और शेष धनराशि माल के परिदान ,क्मसपअमतलद्ध के समय जमा की जायेगी। माल का परिदान सम्भाग के संयुक्त कमिश्नर द्वारा बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। (छ) यदि सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर द्वारा बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, तो नीलाम क्रेता द्वारा जमा की गई धनराशि, जिसके अन्तर्गत बयाने की धनराशि भी है, उसको वापस कर दी जायेगी।

हैं, उसको वापस कर दी जायेगी। (दस) यदि सम्भाग (क्षेत्र) के डिप्टी कमिश्नर ;क्मचनजल ब्वउउपेपवदमतद्ध अन्तिम रूप से बोली को स्वीकार नहीं किया जाता है या सफल बोली लगाने वाले द्वारा बोली की धनराशि को जमा करने में विफल रहने के कारण या विनिर्दिष्ट समय के भीतर नीलाम किये गये माल का परिदान लेने में विफल रहने के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माल को पुनः नीलाम किया जायेगा।	(दस) यदि सम्भाग (क्षेत्र) के संयुक्त कमिश्नर ;श्रवपदज ब्वउउपेपवदमतद्ध द्वारा अन्तिम रूप से बोली को स्वीकार नहीं किया जाता है या सफल बोली लगाने वाले द्वारा बोली की धनराशि को जमा करने में विफल रहने के कारण या विनिर्दिष्ट समय के भीतर नीलाम किये गये माल का परिदान लेने में विफल रहने के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार माल को पुनः नीलाम किया जायेगा।

18– नियम 91 का संशोधनः उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 91 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
91– वापसी या समायोजन के वाउचर पर हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व समस्त सुसंगत अभीलेखों में जिसके अन्तर्गत दैनिक वसूली रजिस्टर, व्यापारी की खाता–बही, मॉग, वसूली और बकाया रजिस्टर, धनराशि की वापसी का रजिस्टर, सुसंगत कर निर्धारण पत्रावली का आदेश–पत्र, (आर्डर शीट) धनराशि की वापसी का निर्देश करने वाला आदेश और समस्त सुसंगत खजाना चालानों की प्रतियॉ भी हैं, धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में प्रविष्टियॉ की जायेगी। ऐसी सभी प्रविष्टियों कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर से (दिनांक, मास और वर्ष सहित) अभिप्रमाणित की जायेंगी। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित वापसी के वाउचर पर आहरण और वितरण अधिकारी ;क्तूपदह ंदक क्पेइनतेपदह व्ििपबमतद्ध द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ;ब्वनदजमत ेपहदद्ध किया जायेगा प्रतिबन्ध यह है कि पच्चीस हजार रूपये से अधिक की धनराशि के वापसी वाउचर पर सम्भाग के डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जायेगा।	91– वापसी या समायोजन के वाउचर पर हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व समस्त सुसंगत अभिलेखों में जिसके अन्तर्गत दैनिक वसूली रजिस्टर, व्यापारी की खाता–बही, मांग, वसूली और बकाया रजिस्टर, धनराशि की वापसी का रजिस्टर, सुसंगत कर निर्धारण पत्रावली का आदेश–पत्र, (आर्डर शीट) धनराशि की वापसी का निर्देश करने वाला आदेश और समस्त सुसंगत खजाना चालानों की प्रतियां भी हैं, धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में प्रविष्टियां की जायेंगी। ऐसी सभी प्रविष्टियां कर निर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर (दिनांक, मास और वर्ष सहित) से अभिप्रमाणित की जायेंगी। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित धन वापसी के बाउचर आहरण और संवितरण अधिकारी ;क्तूपदह ंदक क्पेइनतेपदह व्ििपबमतद्धद्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ;ब्वनदजमत ेपहदद्धकिये जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि पच्चीस हजार रुपये से अधिक की धनराशि के वापसी बाउचर सम्भाग के संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।